संख्या- 91 /2017 / 1524 /चार-2017 -92 (वि0)/ 2015

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषयः- जनपद बस्ती के ग्राम सभा- भितेहरा, तहसील रूदौली में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी की आदमकद 07 फिट ऊॅची कॉस्य (धातु) की मूर्ति के निर्माण/स्थापना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1343/सं0नि0-25(75)/2016 दिनांक 31 जुलाई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती के ग्राम सभा- भितेहरा, तहसील रूदौली में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी की आदमकद 07 फिट ऊॅची कॉस्य (धातु) की मूर्ति के निर्माण/स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में मूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख में से उक्त मूर्ति निर्माण हेतु रू0 4.17 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 75 प्रतिशत अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यथा प्रस्तावित कुल धनराशि रू0 3,12,750/- (रूपये तीन लाख बारह हजार सात सौ पचास मात्र) वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि रू0 3,12,750/- (रूपये तीन लाख बारह हजार सात सौ पचास मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान -92 -आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202-शिक्षा -खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-09-महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण-24 वृहत निमार्ण मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- /2017/ /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।